न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 135/2017

1. साहिल | पिसरान जयपाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता संतोष
2. विकाश | पत्नी जयपाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलांट्स

बनाम

1. जयपाल पुत्र मोहनलाल | जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील
2. सुन्दर देवी पत्नी मोहनलाल | सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. उप पंजीयक सादुलशहर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. का.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, दिनांक 11.09.2017

उपस्थितिः—

श्री ओमप्रकाश बतरा , अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश गुम्बर , अभिभाषक रेस्पों.
श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 14.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलार्थीण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 8 एल.एल.जी. के मु.नं. 70, 73, 95, 96 की कुल 9.867है0 में से 2.466है0 एवं चक 17 एस.डी.एस. के मु.नं. 79, 80 की 5.566है0 में से 1.0603है0 व मु.नं. 56, 57, 59, 60, 61, 67 की 30.360है0 में से 1.822है0 एवं चक 19 एस.डी.एस. के मु.नं. 57 के कि.नं. 1 से 3, मु.नं. 58 के कि. नं. 3से 8 की 1.341है0 में से 0.268है0 तथा चक 17एस.डी.एस. की 1.328है0 कुल 7.487है0 रकबा किसी अन्य को रहन, बैय या मुन्तकिल न करें।

14/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी सं. 1 , 2 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ निवास कर रहें हैं एवं अप्रार्थीगण ही प्रार्थीगण का भरण–पोषण कर रहें हैं। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने 11.09.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण नाबालिग है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण व उनकी माता को घर से निकाल रखा है एवं अप्रार्थीगण धमकी दे रहें हैं कि वे भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल करेंगे। प्रार्थीगण का मामला पूर्ण रूप से साबित था फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज कर दिया। यदि वाद के निर्णय से पूर्व भूमि का हस्तांतरण हो जाता है तो प्रार्थीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स रेस्पों. के पास रहते हैं एवं रेस्पों. द्वारा ही उनका भरण–पोषण किया जाता है। नाबालिग बच्चों की भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता। अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों. ने 2011 आर.बी.जे. 566 , 2015 आर.आर.डी. 210, 2011 आर.बी.जे. 174, 2015(1) आर.आर.टी. 633, 2016 आर.बी.जे. 245 की नजीरें पेश की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें नाबालिगों की वली मॉ के मार्फत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र इस आधार पर अस्वीकार किया कि जिस विवादित

14/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आराजी पर स्थगन चाहा है वह अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है तथा नाबालिग अपीलांट्स रेस्पों. के साथ रह रहे हैं परन्तु अपीलांट की वली उनकी मॉ अपने परिवार की आराजी की यथास्थिति चाहती है जो अधी. न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पति एवं पत्नी का मनमुटाव इस मुकाम पर पंहुचना जाहिर होता है कि नाबालिगों के विधिक संरक्षक कौन हो के Litigation सिविल न्यायालयों में लम्बित होना जाहिर किया। उसी कड़ी में प्रकरण हाजा भी इस विवाद का परिणाम है यह विवाद क्या मोड लेगा। उस वक्त तक अन्य सम्पत्तियों के साथ प्रकरण हाजा की कृषि भूमि किन हाथों में रहेगी या चली जाएगी, पति–पत्नी के मध्य सुलह की सम्भावना न होने पर कानून का उंट किस करवट बैठता है तथा अंग्रेजी की कहावत " Hope for the best and prepare for the worst" के अनुसार राज.काश्त.अधि.1955 की धारा के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2017 निरस्त कर वाद के निर्णय तक रेस्पों. को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि का बेचान न करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार) 14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर